कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर

(जिला न्यायालय परिसर)

Contact Us:- Email id:- dlsa2alwar@gmail.com Helpline No.- 8306002102
Phone :- 0144-2940098

क्रमांकः–पीएलवी भर्ती/2026/763 दिनांकः–28/10/26

–:विज्ञप्तिः–

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ2()/रालसा/डीएस–प्रथम/26081–26111 दिनांक 13.09.2019 एवं माननीय रालसा के पत्रांक RSLSA/2026/878-921 दिनांक 16.01.2026 के अनुसार जिले की ऐसी तालुका विधिक सेवा समितियॉ जिनमें 01 से 02 पंचायत समिति स्थापित है उनके लिए स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत की शर्त (यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पड़ोस की पंचायत समिति के निवासी पर विचार किया जाना हैं) की पालना करते हुए 04 पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स (अलग–अलग गांव के निवासी हो) एवं ऐसी तालुका विधिक सेवा समितियां जिनमें 02 से अधिक पंचायत समितियॉ स्थापित है, उनमें प्राप्त निर्देशानुसार 06 पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स को पैनलित किया जाना हैं। पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स के पदों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

क0 सं0	अलवर मुख्यालय/तालुका/पंचायत समिति	पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स की निर्धारित संख्या
1	तालुका, रैणी (पंचायत समिति रैणी)	04
2	तालुका, गोविन्दगढ़ (पंचायत समिति गोविन्दगढ़)	04
3	तालुका, खेरली मंडी (पंचायत समिति खेड़ली–सौखंर)	04
कुल संख्या		**12**

अतः पुलिस थानों/नगर परिषद/नगर पालिका, लीगल एड क्लिनिक, बाल सहायक, विधिक जागरूकता शिविर/अभियान एवं सामान्य कामकाज के लिए तालुका रैणी, गोविन्दगढ़ एवं खेरली मंडी पर स्थित पंचायत समितियो के लिए आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर में दिनांक 29-10-26 को सुबह 10:00 बजे से दिनांक 6-11-26. को शाम 05:00 बजे आमंत्रित किये जाते हैं।

•सामान्य निर्देशः–

1. **शैक्षणिक योग्यताः–** आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।
2. **आवेदन पत्रः–** इस भर्ती हेतु अभ्यर्थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मुख्यालय अथवा संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति (रैणी, गोविन्दगढ़ एवं खेरली मंडी) के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में निर्धारित समय सीमा में पूर्ण रूप से भरकर आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर में जमा करवाया जा सकेगा। **अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने पर आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।**
3. **चयन प्रकियाः–** आवेदकों की सूची में से चुने गये पात्र एवं योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जायेगा, जिसमें से चयनित अभ्यर्थियों को सफल घोषित किये जाकर उन्हें पी.एल.वी. पद पर कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिसके पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त पी.एल.वी. माना जायेगा।

अध्यक्ष

4. **चरित्रः–** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के सम्बंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
5. **शारीरिक योग्यताः–** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।
6. **आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः–**
 1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथया प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति।
 2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित प्रति।
 3. दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
 4. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
 5. जाति प्रमाण पत्र स्व–सत्यापित प्रति।
 6. पहचान हेतु आधार कार्ड/पैनकार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/वोटर आईड़ी की स्व–सत्यापित प्रति।
7. **आवेदन की अन्तिम तिथिः–** आवेदन पत्र हेतु निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. **पारिश्रमिकः–** माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 707/01.12.2025 के अनुसार निर्धारित रूपये 750/– प्रतिदिवस कार्य के अनुसार। (अधिकतम कार्यदिवस 21–28 दिन प्रतिमाह एवं अधिकतम मानदेय 15,750/–रूपये से 21,000/– रूपये प्रतिमाह तक)
9. **ऐसा व्यक्ति जो राजनैतिक एवं वकालत क्षेत्र से जुडा हो. वह पीएलवी हेतु अयोग्य समझा जावेगा।**

 सेवानिवृत्त अध्यापक या सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस. डबल्यू, छात्र व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डाक्टर/फिजिशियन, विधि विद्यार्थी (जब तक वे लायर (वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एनजीओ क्लबस् महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम व योग्य समझे पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स पद के लिए आवेदन कर सकता है।

- **<u>चयनित पी.एल.वी के कर्तव्य (ड्यूटी):–</u>**
 1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
 2. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत, मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
 3. पी.एल.वी. द्वारा जिनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।
 4. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 367–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।
 5. संबंधित प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
 6. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिक[illegible]

7. विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि–लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
8. पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
9. पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल सम्बन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।
10. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचार व प्रसार करना।
11. प्रत्येक पैरा लीगल वालेन्टीयर लीगल एड क्लीनिक पर निर्धारित दिवस व समय पर उपस्थित रहेंगे।
12. प्रत्येक पैरा लीगल वोलेन्टीयर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों की पालना करेंगे तथा समय समय पर बुलाये जाने पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
13. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किसी भी लीगल एड क्लीनिक का निर्धारित कार्य दिवस पर किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा।
14. सभी पैरा लीगल वोलेन्टीयर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में अपना कार्य रजिस्टर संधारित करेंगे।
15. सभी पैरा लीगल वोलेन्टीयर का कार्यकाल उसके द्वारा दी जाने वाली संतोषप्रद सेवाओं एवं कार्यानुसार रहेगा।

नोटः– यह स्पष्ट किया जाता है कि पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स/अधिकार मित्र का चयन पूर्णतया अस्थायी रूप से होगा। चयनित पैरा लीगल वोलेन्टीयर्स/अधिकार मित्र द्वारा अकर्मण्य, निष्क्रिय, उदासीनता, लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं विधिक कार्य में अरूचि दिखाने पर इस कार्यालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के पैनल से हटाया/पृथक किया जा सकता है। चयनित पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स/अधिकार मित्र को माननीय नालसा/रालसा के निर्देशों के अधीन समय–समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा किसी भी प्रकार का कोई वेतन, भत्ता, पारिश्रमिक या पेकैज नहीं दिया जावेगा। आवेदनकर्ता निर्धारित संलग्न प्रारूप में ही आवेदन करें।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अलवर (राज०)

कमांकः– 7539-47 दिनांकः– 28/10/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति रैणी, गोविन्दगढ़ एवं खेरली मंडी जिला अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति क्षेत्राधिकार में स्थित सभी न्यायालय, अध्यक्ष अभिभाषक संघ, पंचायत समितियां, तहसील/एसडीएम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु भिजवायी जावे एवं तालुका नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावें।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, अलवर।
4. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर।
5. नोटिस बोर्ड जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर।
6. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त विज्ञप्ति को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जावे।

28/10/26
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अलवर (राज०)